सख्या– 3993/8–3–10–177विविध/2010

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0 प्र0।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास
   प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 10 सितम्बर, 2010**

विषयः– भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री के.के.सिन्हा, प्रमुख सचिव,राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश संख्या–1307/1–13–10–20(29)/2004, दिनॉक 03.09.10,(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण आदि के फलस्वरूप प्रभावित कृषकों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु पूर्व में राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अनुमन्य की गयी सुविधाओं के अतिरिक्त संलग्न शासनादेश दिनांक–03.09.10 द्वारा निर्धारित सुविधायें भी दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कृपया तद्नुसार तत्काल प्रभाव से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, जनपथ–लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश की प्रति समस्त सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराते हुए इसे जन–साधारण के उपयोगार्थ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– / 1–13–10–20(29) / 2004

प्रेषक,

के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–13 लखनऊ : दिनांक–03 सितम्बर, 2010

विषय: भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से संबंधित शासनादेश संख्या–1321 / 1–13–04–20(29) / 2004–रा0–13 दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं संख्या–361 / 1–13–2006–20(29) / 2004–रा0–13 दिनांक 28 फरवरी, 2006 तथा शासनादेश संख्या–1252 / 1–13–10–20(29) / 2004 दिनांक 17 अगस्त, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आदि के फलस्वरूप प्रभावित कृषकों के उपयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु पूर्व अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i) वार्षिकी **(Annuity)**

(i) प्रत्येक किसान, जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए रू0 20,000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी **(Annuity)** दी जायेगी, जो भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(ii) रू0 20,000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की वार्षिकी **(Annuity)** पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष रू0 600.00 की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में देय होगी।

(iii) यदि कोई किसान वार्षिकी **(Annuity)** नहीं लेना चाहता है तो उसे एकमुश्त रू0 2,40,000.00 प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

(iv) कम्पनी प्रायोज्य हेतु भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास अनुदान की एकमुश्त धनराशि में से 25 प्रतिशत के समतुल्य कम्पनी के शेयर का विकल्प किसानों को उपलब्ध होगा। ये शेयर, भूमि अधिग्रहण के धारा 17 के विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि अथवा करार की तिथि, जो भी बाद में हो, को शेयर के बाजार मूल्य के आधार पर कम्पनी द्वारा देय होगी। यदि कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् इनीशियल पब्लिक ऑफर **(I.P.O.)** लाया जाता है, तो कम्पनी द्वारा फेश वैल्यू **(Face value)** पर एकमुश्त पुनर्वास अनुदान के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का शेयर का आवंटन विकल्प देने वाले किसानों को किया जायेगा।

(2) यदि भूमि अर्जन किसी प्राधिकरण के प्रयोजन हेतु किया जाता है, तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर आने वाला सारा व्यय भूखण्ड की कीमत में जोड़ दिया जायेगा, जिसे निर्धारित ब्याज दर से जोड़ते हुए जब कभी भूखण्ड किसी शासकीय संस्था/निजी संस्था अथवा व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है, तो उसे प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा। इसी प्रकार यदि भूमि अर्जन किसी कम्पनी के लिए किया जाता है तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित कम्पनी से लिया जायेगा।

(3) जिन परियोजनाओं में लैण्ड फॉर डेवलपमेंट हेतु भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, उनमें प्रभावित मूल काश्तकारों को अधिग्रहीत भूमि की 7 प्रतिशत भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु अर्जन की लागत एवं विकास शुल्क लेकर दी जायेगी। उक्त आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 120 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर आवासीय योजना क्रियान्वित किये जाने की स्थिति में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को भूखण्डों के आवंटन में 17.5 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

(5) लैण्ड फॉर डेवलपमेंट हेतु भूमि अधिग्रहण से पूर्णतः भूमिहीन हो रहे परिवारों के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप कन्शेशनायर कम्पनी में सेवायोजित कराया जायेगा।

(6) प्राधिकरण/कम्पनी प्रायोज्य से अधिग्रहण की स्थिति में अधिग्रहण से प्रभावित गॉवों में मूलभूत सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य कम्पनी तथा सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार द्वारा शासन के विभिन्न विभागों अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों/प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं आदि के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि के संबंध में ही लागू होगा और प्रतिरक्षा (**Defence**) के लिये अधिग्रहीत भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- [illegible] (1)/1-13-10-20(29)/2004 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।